कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 95 /2012–13 दिनांक 30-1-13

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक रा0शै0/निशिसं0/36302–3/2012–13 दिनांक 28.01.2013 के साथ संलग्न शासनादेश सं0 217/15–11–2013 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 21.01.2013 द्वारा शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त **कारगिल शहीद महाविद्यालय,** जसवंत नगर, इटावा अत्यधिक पिछड़े हुए जनपद में स्थित है और जनपद की सामाजिक, शैक्षणिक विषमता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मा0 न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्धता प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राइवेट बी0टी0सी0 के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी है –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होगें।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. संस्थान में शिक्षण कार्य सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित संकाय सदस्यों से ही कराया जाय। यदि किसी संकाय सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है तो उनके स्थान पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही कर पुनः अनुमोदन करा कर शिक्षण कार्य सम्पन्न कराए। चयनित संकाय सदस्यों के अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेबसाइट पर किया जायेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7. संस्थान द्वारा दो माह के अंदर भूमि और भवन का स्पष्ट सीमांकन कर लिया जायेगा।

संस्थान को सत्र 2012–13 के लिए 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

B. Shikshaarthi 30.1.13

(सुश्री भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद 30/1/13

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 4725-33 /2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
8. सचिव, कारगिल शहीद महाविद्यालय, जसवंत नगर, इटावा ।
9. गार्ड फाइल।

B. Shikshaarthi 30.1.13

(सुश्री भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद 30/1/13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com